

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल०-188/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक

/

/ 2025

डा० दीपिका सुशील, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नालन्दा, सिलाव द्वारा प्रथम संतान के प्रसव हेतु उपभोगित अवधि दिनांक-15.01.2025 से 14.07.2025 तक को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :-

- (i) दिनांक-15.01.2025 से 13.07.2025 तक - कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन मातृत्व अवकाश के रूप में।
 - (ii) दिनांक-14.07.2025 को - देय अवकाश के रूप में।
2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल०-188/2025-

154(2)

पटना, दिनांक

28/07/

2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिलाव, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/डा० दीपिका सुशील, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नालन्दा, सिलाव को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

विनोद कुमार पाठक
सरकार के उप सचिव

A